भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वाक चिकित्सक (स्पीच थैरेपिस्ट) के मसौदा भर्ती नियम संबंधी सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की डॉयरी सं. 1079048/15/सीआर-स्था.(आरआर) दिनांक 21.04.15 के अनुसरण में, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वाक चिकित्सक के भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में पणधारियों की कोई आपत्तियां/टिप्पणियां अथवा सुझाव हों तो इन भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर श्री थैंखोलाल बैटे, अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 पर लिखित रूप में अथवा ई-मेल: t.baite12@nic.in पर भेजें।

जी.पी. सामंता
(जी.पी. सामंता)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स सं. 23061521

नई दिल्ली
दिनांक: 25.6.2018

(भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2018

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्पीच थेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (क) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्पीच थेरेपिस्ट (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्पीच थेरेपिस्ट	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल 7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्पीच थेरेपी अथवा स्पीच पैथोलॉजी में चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम। (ii) सरकारी अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन में या भारत सरकार के अंतर्गत किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में स्पीच थेरेपी अथवा स्पीच पैथोलॉजी में एक वर्ष का अनुभव। अथवा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्पीच थेरेपी अथवा स्पीच पैथोलॉजी में दो वर्षीय डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यताप्राप्त स्पीच थेरेपी अथवा स्पीच पैथोलॉजी केंद्र अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठन में स्पीच थेरेपिस्ट अथवा स्पीच पैथोलॉजिस्ट के रूप में तीन वर्षों का अनुभव। टिप्पण-1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण-2 अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हैं उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती होने वालों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति : केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4200 रु. में अथवा समकक्ष में उस ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो कॉलम 7 में सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, (चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. उपनिदेशक, प्रशासन, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <u>टिप्पण 2</u>: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

[ए.12018/19/2014-एमएच-।।]

(जी. पी सामंता)
अवर सचिव